भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4358
दिनांक 20.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

फर्जी नौकरी की पेशकश

4358. श्री सतपाल ब्रह्मचारीः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को घोटालेबाजों द्वारा विभिन्न देशों से नौकरी के इच्छुक युवाओं को फर्जी नौकरी की पेशकश और उनके शोषण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त फर्जी नौकरी की पेशकश संबंधी कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) फर्जी नौकरी की पेशकश और उससे संबंधित मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) से (ग) सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ संदिग्ध संस्थाएं फर्जी भर्ती नौकरी प्रस्तावों में संलिप्त हैं, जो सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से युवाओं सहित भारतीय नागरिकों को विभिन्न देशों में विदेशी रोजगार के लिए प्रलोभन दे रही हैं।

मंत्रालय को देश में अवैध/बेईमान भर्ती एजेंटों/एजेंसियों की ऐसी कपटपूर्ण गतिविधियों के बारे में तब पता चलता है जब ऐसे पीड़ित प्रवासियों या उनके रिश्तेदारों/मित्रों/परिवार के सदस्यों द्वारा शिकायत दर्ज की जाती है जिन्हें उनके नियोक्ताओं द्वारा धोखा दिया गया है, क्योंकि ये भारतीय नागरिक धोखेबाज़/बेईमान भर्ती एजेंटों/एजेंसियों के सहारे और अवैध माध्यमों से स्वयं अपनी इच्छा से विदेश जाते हैं।

सरकार विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उत्प्रवासन अधिनियम 1983 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति/एजेंसी पंजीकरण प्राधिकारी अर्थात उत्प्रवासी महासंरक्षक द्वारा जारी वैध लाइसेंस के बिना भर्ती एजेंट (आरए) के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। भर्ती एजेंट के अनिवार्य पंजीकरण का उद्देश्य विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले संभावित भारतीय प्रवासियों के साथ होने वाली धोखाधड़ी और शोषण को कम करना है। ईसीआर पासपोर्ट धारकों के लिए 18 अधिसूचित उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) देशों में से किसी देश में रोजगार के लिए जाने पर उत्प्रवासी संरक्षक (पीओई) के कार्यालय से उत्प्रवास मंजूरी (ईसी) प्राप्त करना भी अनिवार्य है।

जब भी विभिन्न माध्यमों से भारतीय युवाओं को अवैध भर्ती प्रस्तावों में फंसाने वाले फर्जी एजेंटों/संदिग्ध फर्मों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो ऐसे मामलों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और कतिपय राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित कानूनों सहित अन्य मौजूदा विधानों के संगत कानूनी प्रावधानों के तहत जांच और अभियोजन के लिए राज्य पुलिस को भेजा जाता है। साइबर क्षेत्र में, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई 4 सी), गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अवैध भर्ती एजेंटों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। समग्र भारत से अवैध भर्ती एजेंटों के सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के अनुरोध नियमित रूप से आई 4 सी के साथ साझा किए जाते हैं।

मंत्रालय ई-माइग्रेट पोर्टल, सोशल मीडिया हैंडल और प्रचार के अन्य तरीकों के माध्यम से फर्जी नौकरी प्रस्तावों के खतरों और उन्हें रोकने के तरीकों के बारे में भी परामर्शी जारी करता है। अक्टूबर 2024 तक देश में कुल 3,094 अपंजीकृत एजेंटों को ई-माइग्रेट पोर्टल पर अधिसूचित किया गया है। मंत्रालय द्वारा पूरे देश में समय-समय पर मीडिया समूहों, पुलिस अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन, इच्छुक भर्ती एजेंटों, उद्यमियों और आम जनता के लिए कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों, सूचना सत्रों डिजिटल अभियानों के आयोजन द्वारा ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित और वैध प्रवासन के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इन सत्रों के दौरान प्रवासन संबंधी विनियमों, प्रवासियों के लिए लाभकारी योजनाओं, जैसे प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई), प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी), ई-माइग्रेट पोर्टल और भारतीय दूतावासों द्वारा जारी विभिन्न परामर्शियों के बारे में सभी हितधारकों को जागरूक किया जाता है, जिसमें नौकरी के इच्छुक व्यक्ति भी शामिल होते हैं, तथा उन्हें किसी भी तरह के रोजगार प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले भर्ती एजेंटों के सभी पूर्ववृत्तों को

सत्यापित करने और फर्जी नौकरी प्रस्तावों के बहकावे में न आने और उनके जाल में न फंसने की सलाह दी जाती है।

*****